बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग ।

संकल्प

पटना, दिनांक मार्च, 2016

संख्या–1/एम02–60–18/2014 गृ0आ0......................../ डॉ0 विनोद कुमार चौधरी, भा0पु0से0 (1999) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज सम्प्रति पुलिस उप–महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिनांक 17.02.2014 को ग्राम–श्यामपुर, थाना–उचकागॉव, जिला–गोपालगंज में दो व्यक्तियों के बीच हुई मारपीट की घटना के फलस्वरूप सम्प्रदायिक तनाव की स्थिति का स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा आसूचना एकत्र नहीं करने, स्थिति का जायजा नहीं लेने, सशस्त्र पुलिसबल की प्रतिनियुक्ति नहीं करने, दिनांक 18.02.2014 को पुनः मारपीट की घटना घटित होने, उच्चाधिकारियों को घटना की सूचना नहीं देने एवं पुलिस उप–महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया ।

2. इस प्रकार डॉ0 विनोद कुमार चौधरी, भा0पु0से0 (1999) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज की उपेक्षापूर्ण कार्रवाई उनकी घोर लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता, असंवेदनशीलता, अदेशोल्लंघन एवं अयोग्य पुलिस पदाधिकारी होने का आरोप है ।

3. और चूँकि गृह (आरक्षी) विभाग के ज्ञापन सं0–10014, दिनांक 04.12.2014 के द्वारा डॉ0 विनोद कुमार चौधरी से यह अपेक्षा की गयी कि वे अपने बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत करें और यह भी बतायें कि इस कार्यवाही में अपना बचाव पक्ष स्वयं प्रस्तुत करना चाहते हैं अथवा नहीं ।

4. और चूँकि डॉ0 विनोद कुमार चौधरी ने अपने पत्रांक–42, दिनांक 18.12.2014 के द्वारा अपना बचाव बयान को समर्पित किया ।

5. और चूँकि डॉ0 विनोद कुमार चौधरी से प्राप्त बचाव बयान पर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय के पत्रांक–1039/एक्स0पी0, दिनांक 18.02.2015 द्वारा प्राप्त पुलिस महानिदेशक के मंतव्य के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम–8 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है।

6. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम–8 (2) के अधीन संचालन पदाधिकारी के रूप में विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की नियुक्ति पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा पुलिस मुख्यालय या अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी को नियुक्त करेंगे । डॉ0 चौधरी से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संकल्प की प्राप्ति की तारीख से 10 कार्य दिनों के भीतर स्वयं किसी भी समय जैसा कि अनुमति दें, विभागीय जाँच आयुक्त के समक्ष स्वयं उपस्थित हों ।

7. संकल्प में माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/ डॉ0 विनोद कुमार चौधरी भा0पु0से0 (1999), पुलिस उप–महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक :–

1. डॉ0 विनोद कुमार चौधरी भा0पु0से0 (1999), के विरूद्ध निर्गत ज्ञापन, आर्टिकल ऑफ चार्जेज, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट एवं साक्ष्य सूची (ज्ञाप सं0–10014, दिनांक 04.12. 2014 की प्रति)।
2. डॉ0 विनोद कुमार चौधरी भा0पु0से0 (1999) के ज्ञापन पर बचाव बयान (पत्रांक–42/गो0, दिनांक 18.12.2014 की प्रति)।
3. बचाव बयान पर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय से प्राप्त मंतव्य (पत्रांक–1039/एक्स0पी0, दिनांक 18.02.2015 की प्रति) ।

ज्ञाप संख्या–1/एम02–60–18/2014 गृ0आ0................................../ पटना, दिनांक मार्च, 2016

प्रतिलिपि :– संकल्प में विनिर्दिष्ट लेख्यों की प्रतियों के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को विभागीय कार्यवाही की सुनवाई हेतु प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कार्यवाही तुरंत प्रारंभ करने का कष्ट करे एवं अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में तीन माह के अंदर समर्पित करने का कष्ट करें । आदेश पत्र के साथ कार्यवाही अभिलेख संलग्न कर दिया जाय ।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या–1/एम02–60–18/2014 गृ0आ0................................../ पटना, दिनांक मार्च, 2016

प्रतिलिपि :– पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना / डॉ0 विनोद कुमार चौधरी भा0पु0से0 (1999), पुलिस उप–महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति अनुलग्नक सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या–1/एम02–60–18/2014 गृ0आ0.........2410........./ पटना, दिनांक 29 मार्च, 2016

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव